कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री ओमप्रकाश चोबदार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरोल, नवलगढ जिला झुन्झुनूं को राउमावि सात्याया, जैसलमेर एवं श्री भंवर लाल सैनी, प्रधानाचार्य राउमावि पांचाला खुर्द, जोधपुर को राउमावि बिरोल, नवलगढ जिला झुन्झुनूं स्थानान्तरित किया गया था। श्री ओमप्रकाश चोबदार द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 666/2021 ओमप्रकाश चोबदार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 666/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश चोबदार के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री ओमप्रकाश चोबदार राउमावि बिरोल, नवलगढ जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री भंवर लाल सैनी को दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर राउमावि सात्याया जिला जैसलमेर समायोजित किया जाता है।

उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ओमप्रकाश/666/2021 दिनांकः 13.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झुनूं/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)